

महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

जलेब चौक, जयपुर।

फोन :- 0141-2612591, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : sso1rajhg@hotmail.com

Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक: प.37 () गृरमु/पीएसएएल/2018/5473-7073 दिनांक: 22 MAR 2018

स्थाई-आदेश सं. III / 2018

विषय:- प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में।

राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी गार्डस एवं पर्यवेक्षको को नियमानुसार 7 एवं 21 दिवस का सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 11 (1) एवं (2) के तहत अनुज्ञप्ति की शर्तों का सत्यापन और पुनर्विलोकन किये जाने का उल्लेख है ताकि प्रशिक्षण और कौशल का सत्यापन हो सकें। अद्योहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि प्रायः प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सीयों द्वारा गार्डस एवं पर्यवेक्षको की नियुक्ति/नियोजन से पूर्व इन्हे प्राईवेट सुरक्षा का प्रशिक्षण नहीं दिलवाया जाता है, व उन्हे बगैर प्रशिक्षण के ही नियोजित कर दिया जाता है, जो नियम विरुद्ध है।

अतः इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं कि अनुज्ञप्ति प्राप्त समस्त प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियां राज्य के किसी भी अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान से गार्डस एवं पर्यवेक्षको को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एम.ओ.यू. करवा कर कार्यालय में प्रस्तुत करे ताकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हो सकें एवं सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा प्रशिक्षित गार्डस ही नियोजित किये जावें। अनुज्ञप्ति हेतु आवेदित एजेन्सियों द्वारा भी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार एम.ओ.यू. करवा कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे तभी अनुज्ञप्ति जारी किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।



(नवदीप सिंह)
महानिदेशक, पुलिस
एवं नियंत्रक प्राधिकारी
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सीनियर स्टाफ आफिसर गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. जूनियर स्टाफ आफिसर गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सैल को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश पत्रावली।

उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान,
जयपुर।